निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिहं भाटी (आर.ए.एस) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ जिला राजसमंद

प्र0सं0 26 / 2020 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांकः– 17.08.2020

अनवान

1. श्री विजय सिहं पिता मोहन सिहं आयु 62 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद मोबाइल नम्बर 9799292787
   मृतक नारायण सिहं के वारीसानः–
2. श्री बजरंग सिहं पिता श्री नरायणसिहं आयु 33 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद मोबाइल नम्बर 9740436574
3. श्रीमति घीसूकंवर पत्नि नरायणसिहं आयु 65 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद
   मृतक देवी सिहं के वारीसानः–
4. दशरथसिहं मुतबन्ना देवीसिहं आयु 27 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हिम्मतसिहं पिता श्री गोविन्दसिहं आयु बालिग जाति राजपुत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद
2. श्री अमरसिहं पिता श्री कालूसिहं आयु जाति राजपुत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद
3. श्री प्रविणसिहं पिता श्री नाराणसिहं जाति राजपुत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 जे0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की कृषी भूमि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ में स्थित है, जिसके खा0न0276 आ0नं0 779 रकबा 1.08 आ0नं0 780 रकबा 1.14 आ0नं0 1761 रकबा 11.18 कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा है। उक्त भुमि पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउंड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुऐं पडौसी है हर समय प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जिससे फसल बुवाई एंव कटाई के समय सीमा सबंधी विवाद होता है

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

तथा प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशान्ति कायम रहती है। जिससे प्रार्थी शान्ति पूर्वक कास्त भूमि का उपयोग-उपभोग नही कर पा रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। जिससे भूमि संबधी विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा और प्रार्थीगण शान्तिपूर्व भूमि का उपयोग उपभोग एंव कास्त वगैरह कर सकेगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर मे विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया बल्की सम्मन तामील हो जाने पर भी अनुपस्थित रह जिसपर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी की जमाबंदी सं. 2063 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार है। खातेदार उसकी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ के खा0नं0276 आ0नं0 779 रकबा 1.08 आ0नं0 780 रकबा 1.14 आ0नं0 1761 रकबा 11.18 कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि पक्षकारान को सुचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिती मे भूमि की पत्थरगढी कर रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार देवगढ प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क वसूल करे।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ

सहायक कलेक्टर
देवगढ जिला राजसमन्द